संख्या : 6/2015/318(2)/छप्पन-2015-2/15

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2015

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 राजीव भारद्वाज एवं कै0 एम0के0 पाण्डेय, पायलटों को दिनांक 14-03-2015 से दिनांक 18-03-2015 तक मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में सिमुलेटर रिकरेन्सी, पायलट प्रोफिसियन्सी चेक तथा इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग चेक पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1175/ना0उ0वि0उ0प्र0/आप्स-28/2015, दिनांक 25 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 पर मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में कै0 राजीव भारद्वाज एवं कै0 एम0के0 पाण्डेय, पायलटों को सिमुलेटर रिकरेन्सी, पायलट प्रोफिसियन्सी चेक तथा इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग चेक पूर्ण कराये जाने हेतु शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय विदेश यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में लगभग रूपये 64/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) जो भारतीय मुद्रा में रूपये 10,26,800/- (रूपये दस लाख छब्बीस हजार आठ सौ मात्र) होता है, के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रूपये 10,26,800/- (रूपये दस लाख छब्बीस हजार आठ सौ मात्र) में से 11000/- यू0एस0 डालर जो भारतीय मुद्रा में रूपये 64/- प्रति यू0एस0 डालर के विनिमय दर से रूपये 7,04,000/- (रूपये सात लाख चार हजार मात्र) की धनराशि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 10,26,800/- (रूपये दस लाख छब्बीस हजार आठ सौ मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई को तत्समय के विनिमय दस से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जायेगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-78/दस-2015, दिनांक 11 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 6/2015/ 318(3)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारीगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।